

रावसाहब @ रावसाहब गौड़ा वगैरह

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1109-1110 वर्ष 2010)

16 मार्च, 2023

[बी. आर. गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860- धारा 302- पीड़ित की हत्या कर दी गई – मुकदमा अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाहों के मुकर जाने के बावजूद , विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभियोजन का मामला परे स्थापित पाया गया , अभियोजन साक्षी -1 की अखण्डित गवाही के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह के परे के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया- विचार के लिए एकमात्र बिंदु अपील पर यह था कि क्या इसके आधार पर आठ लोगों को दोषी ठहराया जा सकता है एक अकेले गवाह की गवाही पर , जो अपराध का एकमात्र चश्मदीद गवाह था - अभिनिर्धारित: मौके पर अभियुक्त की उपस्थिति विवादित नहीं है किसी के द्वारा - बड़े पैमाने पर गवाह का जिरह किए जाने के बावजूद , मृतक को अभियुक्त ने पकड़ लिया और उसके शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाई के संबंध में उसकी गवाही सुसंगत है - हालांकि, गवाह को यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तों में से कौन मृतक के गिरने के बाद उसके साथ मारपीट की थी , लेकिन फिर उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में वह स्पष्ट है - एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी -1 की गवाही विश्वास के योग्य है , भरोसेमंद, सच्चा और विश्वसनीय और अभियोजन पक्ष ने सभी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला स्थापित किया। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा गया।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित: 1.अभियुक्त की मौके पर मौजूदगी उनमें से किसी के द्वारा विवादित नहीं है। यह न्यायालय न केवल ऐसा कह सकता है गवाहों से उनकी जिरह की लाइन भी यही है इसके बाद देखा गया कि गवाहों की गवाही के माध्यम से अभिलेख पर आया है , जिन्होंने समर्थन न करने के बावजूद अभियुक्तों द्वारा मृतक को मारपीट किये जाने के मुद्दे पर अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में समर्थन किया है। अभियोजन साक्षी-1 के प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से गवाही का एक हिस्सा निर्विवाद रूप से खुलासा करता है कि सभी आरोपी घटना स्थल पर झाड़ियों में छुप गए। बावजूद इसके यह गवाह बड़े पैमाने पर जिरह की जा रही है , उसकी गवाही सुसंगत है इसका परिणाम यह हुआ कि अभियुक्त ने मृतक को पकड़ लिया और उसके शरीर पर गंभीर चोटें

पहुंचाई। अभियुक्तों ने उसे भागने से रोकने के लिए हथियार के रूप में मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया था और उसे जमीन पर धक्का दिया। हालाँकि, गवाह यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि कौन सा एक अभियुक्त ने मृतक के गिरने के बाद उसके साथ मारपीट की थी। लेकिन फिर वह प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में स्पष्ट है कि उन्हीं में से एक है। अभियोजन साक्षी-1 के गवाही के संबंध में एकमात्र प्रश्न चश्मदीद गवाह विश्वसनीयता के योग्य, भरोसेमंद, सत्य और विश्वसनीय का उत्तर हाँ में दिया जाता है। [कंडिका12 और 14][973-बी-जी]

2. महज़ इसलिए क्योंकि इसके अलावा अभियुक्त संख्या 2 और 4 से किसी से कोई बरामदगी नहीं की गई इसका मतलब यह नहीं होगा कि अन्य अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थे सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे गवाह मुकर गए थे, यह अपने आप में कोई आधार नहीं देता अभियोजन साक्षी-1 के साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए; और अभियोजन साक्षी-1 मृतक का भाई है और इसलिए, वह एक हितबद्ध और अवसर अभियोजन साक्षी है, असमर्थनीय प्रस्तुतियाँ हैं। यह इस पृष्ठभूमि में है कि इस न्यायालय को अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों का समर्थन नहीं मिलता है कि एकल साक्ष्य के आधार पर आठ व्यक्तियों की दोषसिद्धि उचित नहीं है, विशेष रूप से जब प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका के संबंध में उसकी गवाही में कोई अस्पष्टता नहीं है। [कंडिका21] [978-एफ-एच]

3. शिकायत का मसौदा तैयार करने में अभियोजन साक्षी-24 की भूमिका नहीं हो सकती केवल इसलिए नकारात्मक मान लिया गया क्योंकि वह एक अधिवक्ता थे और इसलिए वह बारीकियों पर ध्यान दें। वह व्यक्ति जिसे शिकायत लिखने के लिए अभियोजन साक्षी-24 को बुलाने की भूमिका को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या अभियोजन साक्षी -1 के निर्देश पर प्रारूपण में विसंगति या पुलिस द्वारा तैयार किए गए नोट्स के आधार पर इतना सख्त नहीं है, समय की सीमित अवधि को ध्यान में रखते हुए जिसके भीतर ये सब होता है आग्रह किए गए आधारों को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए गतिविधियाँ हुईं इन अपीलों के संबंध में विशेष अनुमति याचिकाओं द्वारा सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत या अवैध है। अभियोजन मामले की उत्पत्ति के बारे में नहीं कहा जा सकता कि हिल गया या संदिग्ध हो गया। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि एक अधिवक्ता(अभियोजन साक्षी-24) द्वारा तैयार किया गया था, याचिकाकर्ता द्वारा नहीं पुलिस कर्मियों की मदद से। क्या इससे अभियोजन मामला में संदेह पैदा होता है? इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, कोई नहीं। क्योंकि, इस न्यायालय ने देखा है कि बचाव पक्ष ने मौके पर अपनी उपस्थिति स्वीकार कर ली है और स्वतंत्र गवाहों ने प्रत्येक अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका बताई [कंडिका22][979-ए-डी]

4. ऐतिहासिक मसल्टी में अभिनिर्धारण, जहां चार ने विद्वान् न्यायाधीशों ने माना है कि अभियोजन को विशिष्ट व्यक्तियों विशिष्ट कार्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है । न तो संख्या के साथ और न ही अभियुक्त की उपस्थिति विवादित हो सकती, यह न्यायालय कानून के बाहर नहीं जा सकता, यह मानता है कि अभियुक्तों को नीचे की अदालतें द्वारा गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है।[कंडिका 24][980-ए-बी]

मरुदानल ऑगस्टी बनाम केरल राज्य (1980) 4 एससीसी 425; छोटकू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) एससीसी ऑनलाइन 1313; मृणाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य (2011) 9 एससीसी 479; [2011] 14 एससीआर 411; रोहताश कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2013) 14 एससीसी 434 : [2013] 3 एससीआर 884; भगवानजगन्नाथ मरकड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) 10 एससीसी 537: [2016] 5 एससीआर 452; करण सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश (2022) 6 एससीसी 52; करुणाकरण बनाम राज्य तमिलनाडु का (1976) 1 एससीसी 434: [1976] 2 एससीआर 708; साधुराम बनाम राजस्थान राज्य (2003) 11 एससीसी 231; भगवान जगन्नाथ मरकड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) 10 एससीसी 537: [2016] 5 एससीआर 452; गोपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1979) 1 एससीसी 355: [1979] 2 एससीआर 363; राजस्थान राज्य बनाम दाउद खान (2016) 2 एससीसी 607: [2015] 13 एससीआर 1131; मेहराज बनाम राज्य ऊपर। (1994) 5 एससीसी 188 : [1994] 3 एससीआर 592; ओमवीरसिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 6 एससीसी 378; सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2018) 6 एससीसी 610; राम गोपाल बनाम मप्र राज्य (2023) एससीसी ऑनलाइन 158; लालजी बनाम राज्य ऊपर। (1989) 1 एससीसी 437 : [1989] 1 एससीआर 130; मासाल्टी वि. यूपी राज्य एआईआर 1965 एससी 202: [1964] एससीआर 133; एटली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1955 एससी 807; गुरुदत्त पाठक वि. यूपी राज्य (2021) 6 एससीसी 116; गीता देवी बनाम राज्य ऊपर। 2022 एससीसी ऑनलाइन 57; शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एससीआर 88; कलामणि टेक्स बनाम पी. बालासुब्रमण्यम (2021) 5 एससीसी 283; भजन सिंह @ हरभजन सिंह बनाम राज्य हरियाणा के (2011) 7 एससीसी 421: [2011] 7 एससीआर 1; जगदीश बनाम हरियाणा राज्य (2019) 7 एससीसी 711: [2019] 11 एससीआर 22; हरबंस कौर बनाम हरियाणा राज्य (2005) 9 एससीसी 195 : [2005] 2 एससीआर 450; भास्करराव बनाम राज्य महाराष्ट्र (2018) 6 एससीसी 591:

[2018] 4 एससीआर 751;राजेश यादव बनाम यूपी राज्य। 2022 एससीसी ऑनलाइन 150;राजस्थान राज्य बनाम मदन (2019) 13 एससीसी 653 -करने के लिए भेजा।

केस कानून संदर्भ

[2011] 14 एससीआर	411 पैरा 17.1 (सी)	को संदर्भित करता है
[2013] 3 एससीआर	884 पैरा 17.2	को संदर्भित करता है
[2016] 5 एससीआर	452 पैरा 17.2	को संदर्भित करता है
[1976] 2 एससीआर	708 पैरा 17.3	को संदर्भित करता है
[2016] 5 एससीआर	452 पैरा 17.4	को संदर्भित करता है
[1979] 2 एससीआर	363 पैरा 17.5	को संदर्भित करता है
[2015] 13 एससीआर	1131 पैरा 17.6	को संदर्भित करता है
[1994] 3 एससीआर	592 पैरा 17.6	को संदर्भित करता है
[1989] 1 एससीआर	130 पैरा 17.8	को संदर्भित करता है
[1964] एससीआर	133 पैरा 17.8	को संदर्भित करता है
[1985] 1 एससीआर	88 पैरा 17.10	को संदर्भित करता है
[2011] 7 एससीआर	1 पैरा 20	को संदर्भित करता है
[2019] 11 एससीआर	22 पैरा 23	को संदर्भित करता है
[2005] 2 एससीआर	450 पैरा 25	को संदर्भित करता है
[2018] 4 एससीआर	751 पैरा 25	को संदर्भित करता है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1109-1110 वर्ष 2010

उच्च न्यायालय कर्नाटक की , सर्किट बेंच धारवाड़ के निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.11.2009 से आओ ओ संख्या 546 और 599 वर्ष 2006 में.

साथ

आओ ओ संख्या संख्या 1229, 1230 वर्ष 2011, 213 वर्ष 2012, 682 वर्ष 2013

नागामुथु एस., डॉ. के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सी. एम. अंगडी, मनीषगोस्वामी, एम. वेंकटसुलु, सुश्री मनीषा चावा, सुश्री हिमानी पांडे, वैरावन, श्रीमती रजनी के. प्रसाद, बी. कृष्णा प्रसाद, सुश्री एन. अन्नपूर्णाणी, सुश्री सुनीता सिंह, सुश्री.आभा आर शर्मा, अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

शुभांशु पाढी, विशाल बंशल, सुश्री राजेश्वरी शंकर, निरूप सुकृति, मो. ओवैस, वी. एन. रघुपति, मनेंद्र पाल गुप्ता, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा

संजय करोल जे.

1. विचार के लिए एकमात्र मुद्दा यह उठता है कि क्या एक अकेले गवाह की गवाही के आधार पर, आठ लोगों को आजीवन कारावास भुगतने की अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि समवर्ती रूप से किया गया है यह जांचने के लिए बाध्य हैं कि क्या इस एकमात्र चश्मदीद गवाह यंकप्पा पंचगावी (अभियोजन साक्षी-1) की गवाही विश्वसनीयता के योग्य है; क्या वह भरोसेमंद है?; क्या उसने सच्चाई से गवाही दी है?; क्या उसकी गवाही विश्वसनीय है और अलंकरणों, सुधारों या भौतिक विसंगतियों से मुक्त है जिससे वह अस्थिर या संदिग्ध हो जाए?; और क्या अभियोजन पक्ष ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला स्थापित किया है या नहीं? यह सब वही है जिसकी जांच करने के लिए हमें बुलाया गया है।

2. इसमें कोई विवाद नहीं है कि जमखंडी तालुका के कालटिप्पी गांव में दिनदहाड़े एक सत्यप् की हत्या कर दी गई थी। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि उक्त घटना के संबंध में उसी दिन अर्थात् 13.8.2004 को सायं 04.00 बजे टेरडाल पुलिस स्टेशन, जिला बागलकोट, कर्नाटक में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। यह भी विवाद में नहीं है कि जांच करने वाले अनुसंधानकर्ता श्री हनमप्पा संगप्पा केरी (अभियोजन साक्षी -32) मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक पूछताछ करने और जांच करने के बाद, शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जो डॉ. शब्बीर पटेल, अभियोजन साक्षी -27 द्वारा किया गया था। उक्त विशेषज्ञ द्वारा विधिवत प्रमाणित पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.पी-25) यह स्थापित करती है कि मृतक को शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सों पर चाकू से 21 चोटें लगी थीं। कई चोटें गंभीर प्रकृति की थीं, जो तेज धार वाले हथियार से लगी थीं। वे शरीर के सभी महत्वपूर्ण भागों पर होने के कारण मृतक की मृत्यु हो गई। इसमें केवल यह न्यायालय नोटिस करता है, कि उक्त अपराध के संबंध में, विचारण न्यायालय ने सभी आठ अभियुक्तों, अर्थात् रामप्पा (अभियुक्त संख्या 1), शंकर (अभियुक्त संख्या 2), कृष्णप्पा (अभियुक्त संख्या 3) को दोषी ठहराया।, गुलप्पा गावप्पा कारीगर (अभियुक्त संख्या 4), बीरप्पा (अभियुक्त संख्या 5), रावसाहेब लक्ष्मण पाटिल (अभियुक्त संख्या 6), यांकप्पा शिवप्पा नाइक (अभियुक्त संख्या 7) और परप्पा @

गुलप्पा (अभियुक्त संख्या 8), के लिए मृतक की हत्या अलग -अलग हथियारों , यानी जंबिया/जंबे (तेज धार वाले हथियार) , बटन चाकू के इस्तेमाल से की गई है। मिर्च पाउडर का उपयोग हमले के हथियार के रूप में भी किया था।

3. विचारण न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाहों (32 की संख्या में) के मुकर जाने के बावजूद, अभियोजन साक्षी -1की अखण्डित गवाही के माध्यम से, जैसा कि पक्षद्रोही साक्षी, शसप्पा रेड्डी (अभियोजन साक्षी -7) अखण्डित भाग द्वारा समर्थित है , अभियोजन का मामला उचित संदेह से परे स्थापित हुआ। इसलिए , विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उन्हें कारावास की सजा सुनाई , जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं०	नाम	धारा जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1980 के तहत सजा दिया गया था
1	रामप्पा शंकर (ए-1)	143- प्रत्येक को 6 महीने का साधारण कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना
2	शंकर (ए-2)	147- प्रत्येक को 6 महीने का साधारण कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना
3	कृष्णप्पा (ए-3)	148- प्रत्येक को 1 वर्ष का साधारण कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना
4	गुलप्पा गवप्पा करीगर(ए-4)	504- प्रत्येक को 1 वर्ष वर्ष का साधारण कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना
5	बीरप्पा (ए-5)	302- प्रत्येक को आजीवन कारावास और 1,000 / - रुपये का
6	रावसाहेब लक्ष्मण पाटिल(ए-6)	
7	यंकप्पा शिवप्पा नाइक(ए-7)	
8	परप्पा @ गुलप्पा (ए-8)	

सभी अभियुक्त व्यक्तियों के लिए समान सजाएं, एक साथ चलने के लिए दी गईं।

4. उच्च न्यायालय ने, विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों और निष्कर्षों से सहमति जताते हुए, भूमि/सीमा विवाद के संबंध में पक्षों के बीच पूर्व दुश्मनी के तथ्य पर भी ध्यान दिया।

5. हमसे पहले, केवल तीन अभियुक्तों, अर्थात् (i)रावसाहेब @ रावसाहेबगौड़ा (ए-6), (ii) यंकप्पा शिवप्पा नाइक (ए -7) और (iii) परप्पा @ गुलप्पा (ए -8) ने विशेष अनुमति द्वारा इन दो अपीलों के माध्यम से उक्त निर्णय पर हमला किया है।

6. संक्षेप में, हम यह बता सकते हैं कि मृतक की मृत्यु तेज धार वाले हथियारों से की गई कई चोटों के परिणामस्वरूप हुई। संक्षिप्तता के लिए, हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लगी चोटें और कटे हुए घाव। अधिकांश मौके के गवाहों या घटना से पहले या घटना से जुड़े घटनाओं के गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि इन सभी गवाहों की गवाही स्वतः ही खारिज हो जाएगी, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि आरोपी बरी हो जाएंगे।

7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय आम तौर पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बहुत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर या निचली अदालतों द्वारा की गई घोर त्रुटि के मामले में। केवल जहां उच्च न्यायालय "रोचक परिस्थितियों" और "सिद्ध तथ्यों" को नजरअंदाज करता है या "आपराधिक न्यायशास्त्र के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन और दुरुपयोग करता है" या आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देने से इनकार करता है, आदि, वहां यह न्यायालय कदम उठाएगा। कानूनी रूप से गलत निर्णयों को सुधारें। हमें केवल इस कारण से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि हम एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, जब तक कि निश्चित रूप से, निकाले गए निष्कर्षों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियां न हों और यह कि आरोपी निर्दोष/दोषी थे। निस्संदेह, समवर्ती प्रकृति में, दृढ़ विश्वास के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की सीमाएँ हैं।

8. हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले से नहीं निपट रहे हैं। यहां, साक्ष्य अपराध और उसके कारण दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष है।

9. इस समय, हम अभियुक्त और मृतक के बीच संबंध को अभिलिखित कर सकते हैं जो दूर के चचेरे भाई थे। दोनों पक्षों के पास एक-दूसरे से सटी जमीनें थीं। मृतक (सत्यप्पा) यानकप्पा पंचगवी (अभियोजन साक्षी -1) का सगा भाई है। अभियुक्त नंबर 4 और 5 अभियुक्त संख्या 1 के सगे भाई हैं और अभियुक्त संख्या 2 और 3 अभियुक्त संख्या 1 के बेटे हैं। अभियुक्त संख्या 6 से 8 सभी अभियुक्त संख्या 1 से 5 के रिश्तेदार हैं। यह गवाहों की गवाही में सामने आया है, विशेष रूप से अभियोजन साक्षी -1, जो इस हद तक अप्रमाणित है कि विरोधी पक्षों के बीच बैलगाड़ी मार्ग के उपयोग के संबंध में विवाद था। इसके संबंध में, घटना के छह महीने पहले एक झगड़ा हुआ था जब अभियुक्त संख्या 1 ने इसके संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार/गांव के बुजुर्गों के हस्तक्षेप से विवाद सुलझ गया। लेकिन फिर भी, कथित तौर पर, उक्त गवाह के बयान के अनुसार विवाद जारी रहा। शसप्पा रेड्डी (अभियोजन साक्षी -7) जो दोनों पक्षों के रिश्तेदार भी हैं, ने हालांकि शुरू में कहा था कि मृतक सत्यप्पा और अभियुक्त के बीच कोई विवाद नहीं था, लेकिन फिर, उसी दौरान में उन्होंने स्पष्ट किया कि, घटना से 15 दिन पहले विवाद था भूमि के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया था और "मेरी सलाह के अनुसार अभियुक्त संख्या 1 रामप्पा ने सत्यप्पा को

राहगीरों को रास्ता नहीं दिया है"। यहां तक कि पंडप्पा सिदारेड्डी (अभियोजन साक्षी -8) भी भूमि के संबंध में पक्षों के बीच विवाद के तथ्य को उजागर करते हैं। इस प्रकार, हमारे विचार से आपसी विवाद के तथ्य के संबंध में नीचे दी गई अदालतों के निष्कर्षों को अभिलेख पर मौजूद सामग्री या अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए सबूतों की गलत सराहना के आधार पर नहीं कहा जा सकता है।

10. अगला प्रश्न जो विचारणीय है वह यह है कि अपराध किसने और किस प्रकार किया। नीचे दी गई अदालतों ने समवर्ती रूप से, अभियोजन साक्षी -1 की गवाही की पूरी तरह से सराहना करते हुए पाया कि अभियुक्त ने सुप्रा में संदर्भित विभिन्न हथियारों का उपयोग करके ऐसा ही किया है।

11. आगे विस्तार से, अभियोजन साक्षी -1 की गवाही को पढ़ने के बाद हमने देखा कि उसने गवाही दी थी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यानी 13.08.2004 को वह और मृतक दोनों टेरडाल नामक स्थान पर मिले थे, जहां मृतक ने उसे एक राशि दी थी। 50,000/- रुपये की निकासी उसने ग्रामीण बैंक ससलाट्टी शाखा से की थी। मृतक चारा खरीदने के बाद अपनी साइकिल से कलटिप्पी गांव (अपने निवास स्थान) की ओर लौटने लगा। इस गवाह ने पीछे की सीट पर बैठे अशोक मारेगुड्डी (अभियोजन साक्षी -19) के साथ उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में, दोपहर लगभग 2.45 बजे गवाह ने सभी अभियुक्तों (संख्या 1 से 8) को, जो जली कांति के पेड़ों में छिपे हुए थे, मृतक की ओर भागते हुए पाया। अभियुक्त संख्या 2 और 8 ने गाली देना शुरू कर दिया कि 'पाया सत्या सुलेमागेन निन्ननु कोंडु हकुत तेवे' (तुम एक वेश्या की संतान हो हम तुम्हें मार डालेंगे)। उन्हें देख कर मृतक अपनी साइकिल छोड़कर सभी अभियुक्तों के साथ उसका पीछा करते हुए मौके से भागने लगा। इसके बाद, अभियुक्त संख्या 8 परप्पा उर्फ गुलप्पा ने मृतक के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया; अभियुक्त संख्या 1 और 2 ने मृतक की गर्दन और छाती के बाईं ओर जांबिया/जांबे से वार किए; अभियुक्त नंबर 3 से 7 ने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बटनदार चाकू से वार किया, जिससे मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। जल्द ही अभियुक्त गोलाभावी गांव की ओर भाग गए। जब शशप्पा रेड्डी (अभियोजन साक्षी -7), पंडप्पा सिदारेड्डी अभियोजन साक्षी -8), श्रीशैल (अभियोजन साक्षी -11) और रामप्पा (अभियोजन साक्षी -12) मौके पर पहुंचे तो गवाह ने मदद की गुहार लगाई। इसके अलावा, निकटवर्ती भूमि के मालिक, लकव्वा सिद्धपुर (अभियोजन साक्षी -9) और सुशीलव्वा (अभियोजन साक्षी -13) भी पहुंचे। उन्होंने एक अधिवक्ता, हनमंत भीमप्पा रेड्डी (अभियोजन साक्षी -24) के माध्यम से एक शिकायत का मसौदा तैयार करवाया और अनपढ़ होने के कारण अपना अंगूठा लगा लिया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी।

12. यहां हम केवल यह दर्ज कर सकते हैं कि मौके पर अभियुक्तों की उपस्थिति पर उनमें से किसी ने भी विवाद नहीं किया है। ऐसा हम न केवल गवाहों से उनकी जिरह के आधार पर कह सकते हैं, बल्कि जैसा कि हम आगे देखेंगे, गवाहों की गवाही के माध्यम से अभिलेख पर

आए हैं, जिन्होंने इस मुद्दे पर अभियोजन का समर्थन नहीं करने के बावजूद अभियुक्तों ने मृतक के साथ मारपीट की और इस मामले में उसका समर्थन किया। अभियोजन साक्षी -1 की गवाही के जिरह भाग के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सभी अभियुक्त घटनास्थल पर झाड़ियों में छिपे हुए थे। यह गवाह, व्यापक रूप से जिरह किए जाने के बावजूद, अपनी गवाही में इस बात पर कायम है कि अभियुक्त ने मृतक को पकड़ लिया और उसके शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं। अभियुक्तों ने उसे भागने से रोकने के लिए मिर्च पाउडर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उसे जमीन पर धकेल दिया। हालाँकि, गवाह यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि मृतक के गिरने के बाद किस अभियुक्त ने उस पर हमला किया था, लेकिन फिर भी वह उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में स्पष्ट है।

13. अभियोजन साक्षी-7 ने पक्षद्रोही होने के बावजूद अपनी निर्विवाद गवाही में मौके पर अभियुक्त संख्या 1, 2 और 3 की उपस्थिति दर्ज की है। घटना के तुरंत बाद उन्हें गोलाभावी गांव की ओर भागते देखा गया। इसके अलावा, उन्होंने देखा कि मृतक को कई चोटें लगी हुई थीं और उसके शरीर पर मिर्च पाउडर भी पाया गया था। यहां हम केवल यह दर्ज कर सकते हैं कि लक्कप्पा सिद्धपुर (अभियोजन साक्षी -9) और अशोक मारेगुड्डी (अभियोजन साक्षी -19) हालांकि अदालत में अपने बयान से मुकर गए थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने पुलिस के सामने इसी तरह के बयान दिए थे, जिससे उनका आमना-सामना कराया गया था, जो कि किसी भी तरह से सच है। अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के माध्यम से घटना साबित हुई है।

14. उपरोक्त के मद्देनजर, एकमात्र चश्मदीद गवाह अभियोजन साक्षी -1 की गवाही विश्वसनीयता के योग्य, भरोसेमंद, सच्ची और विश्वसनीय होने के संबंध में प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक दिया जाता है।

15. कानून के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि क्या एक चश्मदीद गवाह की गवाही सभी आठ व्यक्तियों को आजीवन सलाखों के पीछे डालने के लिए पर्याप्त है या नहीं, हमें बार में दी गई दलीलों से निपटना होगा।

16. यह कहा गया है कि गवाहों की संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता मायने रखती है और चूंकि, अभियोजन साक्षी -1 मृतक का भाई होने के नाते एक हितबद्ध साक्षी है, और उसका बयान "स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय "या " वास्तविक गुणवत्ता नहीं है, जैसा कि हाल ही में इस न्यायालय द्वारा माना गया है, दो संभावित संस्करणों की उपस्थिति में, जो आरोपी के पक्ष में है उसे लेना आवश्यक है।

अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मुख्य रूप से **मारुडनल ऑगस्टी बनाम केरल राज्य (1980) 4 एससीसी 425** पर भरोसा करते हैं, विशेष रूप से उस हिस्से पर जहां विद्वान डिवीजन बेंच ने नोट किया कि एक्सप्रेस डिलीवरी द्वारा भेजे जाने के बावजूद मजिस्ट्रेट तक प्रथम सूचना रिपोर्ट पहुंचने में 29 घंटे की देरी, "गंभीर दुर्बलता" के रूप में है; और **छोटकऊ बनाम**

यूपी राज्य (2022) एससीसी ऑनलाइन 1313 में हालिया फैसला इन दोनों मामलों का हवाला इस बात को साबित करने के लिए दिया गया है कि मजिस्ट्रेट तक एफआईआर पहुंचने में देरी हुई है।

17. इस न्यायालय ने कई अवसरों पर समान प्रकृति के मामलों पर विचार किया है , और इस तरह के विचार से मामलों को तय करने में विभिन्न सिद्धांत सामने आए हैं। तत्काल लंबित का निर्णय लेने के लिए आवश्यक कुछ सिद्धांत हैं -

17.1 पक्षद्रोही गवाह का साक्ष्य:

क) अपराध के घटित होने के संबंध में पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य का संपुष्ट भाग स्वीकार्य है। केवल इसलिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बयान से विचलन है , गवाह के बयान को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है;

ख) पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार बन सकता है

ग) चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की सराहना करने का सामान्य सिद्धांत यह है कि जब किसी मामले में बड़ी संख्या में अपराधी शामिल होते हैं , तो विवेकपूर्ण तरीके से , अदालत के लिए सावधानी के उपाय रूप में कम से कम दो और गवाहों से पुष्टि की मांग करना आवश्यक है , लेकिन हमेशा नहीं। जो भी हो, सिद्धांत गवाहों की संख्या से अधिक गुणवत्ता का है। **[मृणाल दास बनाम. त्रिपुरा राज्य (2011) 9 एससीसी 479]**

17.2 चूक, कमियों का प्रभाव:

समग्र रूप से जांचे गए साक्ष्य में सत्यता झलकनी चाहिए। अदालत को उन चूकों और विसंगतियों को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए जो अभियोजन पक्ष के मामले की नींव को हिला नहीं देती हैं। **[रोहताश कुमार बनाम . हरियाणा राज्य (2013) 14 एससीसी 434; भगवान जगन्नाथ मरकड बनाम . महाराष्ट्र राज्य (2016) 10 एससीसी 537; और करण सिंह बनाम . उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 6 एससीसी 52]**

17.3 एकल गवाह पर निर्भरता:

यदि कोई गवाह बिल्कुल विश्वसनीय है तो उसके आधार पर दोषसिद्धि को किसी भी तरह से कमजोर नहीं कहा जा सकता । **[करुणाकरण बनाम . तमिलनाडु राज्य (1976) 1 एससीसी 434; और साधुराम बनाम. राजस्थान राज्य (2003) 11 एससीसी 231]**

17.4 एक करीबी रिश्तेदार की गवाही:

किसी गवाह का करीबी रिश्तेदार होना उसकी गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। किसी भी "पक्षपातपूर्ण" या "हितबद्ध" साक्षी की यांत्रिक अस्वीकृति से न्याय की विफलता हो सकती है। "फाल्सस इन यूएनओ, फाल्सस इन ऑम्निबस" का सिद्धांत सामान्य अनुप्रयोग में से एक नहीं है। **[भगवान जगन्नाथ मरकड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) 10 एससीसी 537]**

17.5 संभावनाओं की प्रबलता:

किसी व्यक्ति को विचारों के द्वंद्व से उत्पन्न संदेह का लाभ पाने का अधिकार देने के लिए, अभियुक्त के पक्ष में संभावित दृष्टिकोण उतना ही उचित रूप से संभावित होना चाहिए जितना कि उसके विरुद्ध। **[गोपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1979) 1 एससीसी 355]**

किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट की पूर्व-तारीख या पूर्व-समय के खिलाफ बाहरी जांचों में से एक उसके मजिस्ट्रेट को भेजने या मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी प्राप्ति का समय है प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति तुरंत भेजने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई हेरफेर या अंतर्वेशन नहीं है। **[मेहराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) 5 एससीसी 188; और ओमबीर सिंह बनाम यूपी राज्य (2020) 6 एससीसी 378]**

17.7 अंतिम बार देखा गया सिद्धांत:

अपने आप में, अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को दृढ़ विश्वास के लिए एक कमजोर आधार माना जाता है। हालाँकि, जब इसे अन्य कारकों के साथ जोड़ा जाता है जैसे कि मृतक को आखिरी बार अभियुक्त के साथ कब देखा गया था, मृतक के शरीर की बरामदगी के लिए समय की निकटता आदि। अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 के तहत स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता है, या वह प्रस्तुत नहीं करता है जिसे गलत स्पष्टीकरण कहा जा सकता है या यदि कोई मकसद स्थापित किया गया है - किसी अन्य परिकल्पना की संभावना को बंद करते हुए अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए सुरक्षित रूप से दलील देना, तो उस पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है। **[सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2018) 6 एससीसी 610; और राम गोपाल बनाम एमपी राज्य (2023) एससीसी ऑनलाइन 158]**

17.8 कई आरोपी व्यक्तियों से जुड़े मामले

एक तीन न्यायाधीशों की पीठ जिसमें हम में से एक (बीआर गवई जे .) सदस्य थे, ने भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा-149 के आवेदन के संबंध में निम्नानुसार टिप्पणी की-

“30. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए कृत्यों के लिए या ऐसे अपराधों के लिए प्रतिवर्ती दायित्व की घोषणा करती है, जिनके बारे में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों को पता था कि अभियोजन में अपराध किया जाएगा। वह वस्तु यदि किसी विधि विरुद्ध जमाव का गठन किसी अपराध को करने के सामान्य उद्देश्य से किया जाता है, और यदि वह अपराध विधि विरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा उद्देश्य के अभियोजन के लिए किया जाता है, तो जमाव के सभी सदस्य उस अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होंगे, भले ही वह एक ही क्यों न हो या अधिक, लेकिन सभी ने अपराध नहीं किया। फिर, यदि कोई अपराध किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा किया जाता है और वह अपराध वह है जिसके बारे में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के लिए मुकदमा चलाने की संभावना है, तो ऐसा ज्ञान रखने वाला प्रत्येक सदस्य दोषी होगा। इस प्रकार अपराध किया गया।” [हरि बनाम यूपी राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1131; शंभू नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1960 एससी 725]

जबकि प्रकट कार्य और सक्रिय भागीदारी अपराध करने वाले व्यक्ति के सामान्य इरादे का संकेत दे सकती है, विधि विरुद्ध जमाव में उपस्थिति मात्र धारा 149 के तहत आपराधिक दायित्व को बढ़ा सकती है। [लालजी बनाम. यूपी राज्य (1989) 1 एससीसी 437]

जब किसी मामले में बड़ी संख्या में हमलावर शामिल होते हैं तो गवाह के लिए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन करना संभव नहीं होता है। अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक सदस्य की संलिप्तता साबित करे, विशेषकर किस या किस कृत्य के संबंध में। [मासल्टी बनाम. यूपी राज्य एआईआर 1965 एससी 202]

17.9 अपील न्यायालय की शक्ति:

क) अपील की अदालत के पास दोषमुक्ति के आदेश के साथ-साथ दोषमुक्ति के आदेश में साक्ष्य की सराहना करने की व्यापक शक्तियाँ हैं, साथ ही निर्दोषता की धारणा भी है जो मामले के सभी चरणों में जारी रहती है। ऐसे न्यायालय को विचारण न्यायालय

द्वारा दिए गए फैसले को उचित महत्व देना चाहिए। [एटली बनाम. यूपी राज्य एआईआर 1955 एससी 807]

ख) गुरुदत्त पाठक बनाम का जिक्र करते हुए। उत्तर प्रदेश राज्य [(2021) 6 एससीसी 116] गीता देवी बनाम में निर्णय। यूपी राज्य [2022 एससीसी ऑनलाइन 57], इस न्यायालय ने इस पहलू पर कानून की विवेचना की और फिर कहा कि उच्च न्यायालय को, प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के नाते, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर चर्चा/पुनःमूल्यांकन करनी चाहिए। ऐसा करने में विफलता मामले को विचार के लिए वापस भेजने के लिए पर्याप्त अच्छा आधार है।

17.10 अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ:

बहुत विशेष परिस्थितियों के अभाव में या उच्च न्यायालय द्वारा की गई कानून की गंभीर त्रुटियों की उपस्थिति में, यह न्यायालय नीचे की अदालतों के तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है। [शरद बिरधीचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116]

अनुच्छेद 136 के तहत सीमाएं स्व-लगाई गई सीमाएं हैं जहां सामान्य पाठ्यक्रम में स्पष्ट त्रुटि या निर्णय, विशेष अनुमति के विषय के अभाव में साक्ष्य की अभिमूल्यन नहीं की जानी है, पूर्व दृष्टया विकृत होना। [कलामणि टेक्स बनाम. पी. बालासुब्रमण्यम (2021) 5 एससीसी 283]

18. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने इस अदालत से कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराने में गलती की, क्योंकि अभियोजन साक्षी -1 के बयान, जो कि आरोपियों की संख्या के संबंध में अप्रत्यक्ष हैं, किसी भी तरह से ठोस धारण करने का दृढ़ विश्वास का आधार नहीं बनाते हैं।

19. बार की दलीलों, भौतिक वस्तुओं और मामले के अभिलेख को बनाने वाले प्रदर्शनों पर विचार करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता अभियोजन साक्षी -1 के एकमात्र साक्ष्य और अभियोजन साक्षी-7 के सहायक साक्ष्य के आधार पर (एक हितबद्ध साक्षी) अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया था। इसे इस प्रकार देखा गया:

“अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता और ऊपर उल्लिखित अन्य गवाहों के स्वीकार्य साक्ष्य पेश करके अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है और इस प्रकार अभियुक्त व्यक्तियों को विधि विरुद्ध जमाव, दंगा करने, जो घातक हथियारों से लैस थे और अपराधों का दोषी पाया गया है। उन्होंने मृतक सत्यप्पा को गंदी भाषा में गाली दी और फिर उन्होंने 13.08.2004 को दोपहर लगभग 3.00 बजे, टेरडाल से कालटिप्पी की ओर जाने वाली एक सार्वजनिक सड़क पर मृतक सत्यप्पा की हत्या कर

दी और इस तरह उन्हें तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए। " उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्यों की पूरी सराहना करते हुए , ठोस कारणों की पुष्टि करते हुए इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई है कि शिकायत का मसौदा तैयार करने में हनमंत भीमप्पा रेड्डी (अभियोजन साक्षी -24) की सहायता इसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठाती है; अभियोजन साक्षी -28 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सौंपे जाने के समय में काम के घंटे सुबह 8 बजे से शाम 8.00 बजे तक होने में विसंगति मुख्य परीक्षा में बयान को खारिज नहीं करती है, जहां उल्लेखित समय 4.45 बजे था।

20. मजिस्ट्रेट तक प्रथम सूचना रिपोर्ट पहुंचने में देरी के संबंध में, कानून की यह स्थापित स्थिति है कि प्रदर्शित पूर्वाग्रह के अभाव में होने वाली प्रत्येक देरी किसी मामले के लिए घातक नहीं है [भजन सिंह @ हरभजन सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2011) 7 एससीसी 421]। छोटकाऊ (सुप्रा) में यह माना गया है कि एक अदालत " अनुसंधान पर इस तरह की देरी के प्रभाव और यहां तक कि अनुसंधान की विश्वसनीय योग्यता को देखने के लिए बाध्य है।" हालाँकि, वर्तमान मामले में, जबकि बार इस सिद्धांत पर निर्भर है, अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह दिखाने के लिए कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है। पर्याप्त समर्थन के बिना बयान न्यायालय को प्रभावित नहीं कर सकते। यहां तक कि संबंधित मजिस्ट्रेट के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्राप्ति में देरी भी अभियोजन मामले पर अविश्वास करने का कारण नहीं हो सकती है। यह प्रावधानों के गैर-अनुपालन का मामला नहीं है , साथ ही देरी इतनी अधिक नहीं है कि कोई संदेह पैदा हो। 13.08.2004 को शाम 4.45 बजे दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत अग्रेषित की गई और 1.15 बजे प्राप्त हुई।

21. केवल इसलिए कि अभियुक्त संख्या 2 और 4 के अलावा किसी से कोई बरामदगी नहीं की गई, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अन्य लोग अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थे ; केवल इसलिए कि कई गवाह मुकर गए थे , यह अपने आप में अभियोजन साक्षी -1 के साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं देता है; और यह कि अभियोजन साक्षी -1 मृतक का भाई है और इसलिए , एक हितबद्ध और साथ ही एक अवसर साक्षी है , आविश्चनीय प्रस्तुतीकरण हैं। यह इस पृष्ठभूमि में है कि हम अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागामुथु एस. और डॉ. के. राधाकृष्णन की दलीलों से सहमत नहीं हैं कि अकेले साक्ष्य के आधार पर आठ व्यक्तियों की दोषसिद्धि उचित नहीं है, विशेष रूप से जब प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका के संबंध में उसकी गवाही में कोई अस्पष्टता न हो।

22. शिकायत का मसौदा तैयार करने में अभियोजन साक्षी -24 की भूमिका को केवल इसलिए नकारात्मक नहीं माना जा सकता क्योंकि वह एक अधिवक्ता था और

इसलिए उसने विस्तार पर ध्यान दिया। अभियोजन साक्षी -1 ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह पढ़ना-लिखना नहीं जानता। जिस व्यक्ति को शिकायत लिखने के लिए अभियोजन साक्षी -24 को बुलाने की भूमिका सौंपी जा सकती है या अभियोजन साक्षी -1 के निर्देशों पर या पुलिस द्वारा तैयार किए गए नोट्स के आधार पर प्रारूप में विसंगति इतनी स्पष्ट नहीं है, इसे ध्यान में रखते हुए समय की सीमित अवधि जिसके भीतर ये सभी गतिविधियां हुईं, विद्वान सत्र न्यायाधीश के दृष्टिकोण के पूरी तरह से गलत या अवैध होने के संबंध में विशेष अनुमति याचिकाओं द्वारा इन अपीलों में आग्रह किए गए आधारों पर विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए। यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन मामले की उत्पत्ति हिल गई है या संदिग्ध हो गई है। यह आरोप लगाया गया था कि शिकायत एक अधिवक्ता (अभियोजन साक्षी -24) द्वारा तैयार की गई थी, न कि याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस कर्मियों की मदद से। क्या इससे अभियोजन पक्ष पर संदेह पैदा होता है? हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, कोई नहीं। क्योंकि, जैसा कि हमने देखा है कि बचाव पक्ष ने मौके पर अपनी उपस्थिति स्वीकार की है और स्वतंत्र गवाहों ने प्रत्येक अभियुक्त की एक विशिष्ट भूमिका बताई है।

यह कि हत्या की गई है, नीचे की दोनों अदालतों द्वारा स्पष्ट रूप से और समवर्ती रूप से तय किया गया है। यह हमारे समक्ष उपस्थित अपीलकर्ताओं पर है कि वे विशेष परिस्थितियों या अदालतों द्वारा लिए गए तथ्यों के विपरीत किसी समान रूप से संभावित संस्करण के अस्तित्व को स्थापित करें, जिसे वे चुनौती देना चाहते हैं।

23. प्राथमिक दलील यह थी कि आठ लोगों (अब छह, दो की मृत्यु के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई है) को दोषी ठहराने के लिए एक अकेले गवाह पर निर्भरता अत्यधिक है। न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट प्रश्न पर कि विद्वान अधिवक्ता अभियोजन साक्षी -1 की गवाही की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए क्या संकेत दे सकते हैं, उत्तर यह था कि कई बाहरी कारकों के साथ-साथ अन्य गवाहों की गवाही को देखते हुए, तत्वों को विश्वसनीयता को ध्वस्त करना मौजूद है - जो हमारे विचार से हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। बड़ी हुई जांच आवश्यकता के लिए, जैसा कि इस न्यायालय ने जगदीश बनाम में देखा था। **हरियाणा राज्य [(2019) 7 एससीसी 711]** को असंतुष्ट मानने के लिए, आसपास के सबूतों को विश्वसनीय प्रश्न के रूप में देखना होगा, जो कि नहीं था। अभियोजन साक्षी -7 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में की गई स्वीकारोक्ति पर विवाद नहीं किया गया है और न ही, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, किसी भी अभियुक्त की उपस्थिति पर विवाद नहीं किया गया है। **मृणाल दास (सुप्रा), रोहताश कुमार (सुप्रा), करण सिंह (सुप्रा) और करुणाकरण (सुप्रा)** में उल्लिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए,

अभियोजन साक्षी -1 की गवाही निस्संदेह अभियुक्त व्यक्तियों की सजा का आधार बन सकती है।

24. हमने ऐतिहासिक मसल्टी (सुप्रा) में अभिनिर्धारण पर भी ध्यान दिया है, जहां चार विद्वान न्यायाधीशों ने माना है कि अभियोजन पक्ष को विशिष्ट व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कार्य साबित करने के तहत , यह नहीं मान सकते कि अभियुक्तों को निचली अदालतों द्वारा गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है।

25. अभियोजन साक्षी -1 मृतक का भाई होने के नाते एक हितबद्ध साक्षी है; चूंकि वह एक अकेला गवाह है जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने भरोसा किया है, जिसे फैसले पर सवाल उठाने के लिए हमारे सामने एक आधार के रूप में रखा गया है। हरबंस कौर बनाम में कानून की स्थिति। **हरियाणा राज्य [(2005) 9 एससीसी 195]** यह कहने में स्पष्ट है कि कानून का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो किसी करीबी रिश्तेदार के बयान पर केवल इसी कारण से संदेह करता हो। **भास्करराव बनाम में सावधानी बरतने का एक नोट दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य [(2018) 6 एससीसी 591]** जो निस्संदेह मुद्दे पर है लेकिन हम राजेश यादव बनाम मामले में इस न्यायालय की टिप्पणी पर भी ध्यान दे सकते हैं। **यूपी राज्य [2022 एससीसी ऑनलाइन 150]** जहां यह देखा गया है:

"30. एक बार फिर , हम सावधानी के साथ दोहराते हैं , उपरोक्त पहलू पर निर्णय लेने के लिए विचारण न्यायालय सबसे अच्छी अदालत है क्योंकि किसी गवाह के मूल्यांकन पर कोई गणितीय गणना या स्ट्रेटजिकेट फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता है , क्योंकि विचारण न्यायाधीश की नजर से बेहतर सच्चाई की यात्रा देखी जा सकती है। वास्तव में , इस अधिनियम के पीछे यही वास्तविक उद्देश्य है जो न्यायालय को अधिकतम विवेकाधिकार प्रदान करता है।"

26. नीचे की अदालतों को, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं अभियोजन साक्षी -1 की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला है। वास्तव में, इसके ठीक विपरीत उसने इस पर भरोसा किया है । **भगवान जगन्नाथ मरकड (सुप्रा), राजस्थान राज्य बनाम मदन [(2019)13एससीसी653]**, में अभिनिर्धारण को ध्यान में रखते हुए। हम इस संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से सहमत नहीं हो सकते हैं।

27. उपरोक्त पृष्ठभूमि के मद्देनजर , प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ाई गईं , कानून का अभिमूल्यांकन किया गया और विश्लेषण किया गया , हम पाते हैं कि वर्तमान अपीलों में गुण की कमी है और इसलिए , उन्हें खारिज किया जाता है। यदि अभियुक्त जमानत पर हैं, तो उन्हें तुरंत संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

लंबित आवेदन यदि कोई हो, तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपील खारिज की गई।

अंकित ज्ञान

(सहायक: आरश चौधरी, एलसीआरए)

B.Oraon